-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.10.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन ईगल" के क्रम में थाना मटौंध व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध सूखा गांजा तस्कर को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से लगभग 2.5 से 03 करोड़ रुपए कीमत की अवैध सूखा गांजा बरामद।**

- **अभियुक्त द्वारा उड़ीसा से बिहार व मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जाती थी अवैध सूखे गांजे की बड़ी खेप। बांदा और आसपास के जनपदों में की जाती थी अवैध सूखे गांजे की बिक्री।**

विवरण- श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन डॉ0 संजीव गुप्ता व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री राजेश एस0 के निर्देशन एवं पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा जनपद बांदा को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन ईगल"** के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में थाना मटौंध व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय अवैध सूखा गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 08.10.2025 को देर रात्रि थाना मटौंध व एसओजी पुलिस टीम गश्त व चेकिंग में भ्रमणशील थी इसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मध्य प्रदेश के रास्ते एक ट्रक में अवैध गांजे की खेप लाई जा रही है। इसी दौरान एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स झांसी के प्रभारी चंदन पाण्डेय द्वारा भी एक ट्रक UP71AT6216 में अवैध गांजे की खेप मध्य प्रदेश से होते हुए बांदा होते हुए महोबा ले जाने सूचना दी गई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा बैरियर लगाकर चेकिंग करते हुए ट्रक को गोयरा मुगली मोड़ के पास से पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान ट्रक से कुल 08 कुन्तल 01 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है जिसकी अनुमानित कीमत 2.5 से 03 करोड़ रुपए है। पकड़े गये अभियुक्त चन्दन पुत्र मुन्नु लाल निवासी महमूदपुर थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह अवैध सूखा गांजा उड़ीसा से ला रहा था तथा उसे यह गांजा बबेरु के रहने वाले अंजनी तिवारी ने महोबा पहुंचाने के लिए कहा था। अंजनी तिवारी ने ही उड़ीसा में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोपनीय तरीके से ट्रक में अवैध सूखा गांजा रखवाया गया तथा उसके ऊपर नारियल की रस्सी रख दी गई जिससे की रास्ते में किसी को शक ना हो। अंजनी तिवारी ने बताया कि गांजा को महोबा में कहां पहुंचाना है यह बाद में फोन करके बताएगा। यह कार्य करने के लिए अंजनी तिवारी ने मुझे 03 लाख रुपए देने के कहा था। अवैध सूखे गांजे में इतना फायदा देखकर मै(चन्दन चालक) मेरा कन्डक्टर रईस जो कानपुर का रहने वाला है दोनों लोगों ने अपने लिए भी 50-50 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा रख लिया। रास्ते में कन्डक्टर रईस सासाराम बिहार में गांड़ी से उतरकर कहीं चला गया। इस गाड़ी में 701 किलोग्राम गांजा अंजनी तिवारी का तथा 100 किलोग्राम गांजा मेरा(चन्दन) तथा मेरे कंडक्टर साथी रईस का है। पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे है तथा इस क्रम में विस्तृत जांच की जा रही है कि अभियुक्तों के द्वारा किसके माध्यम से गांजे की खरीद/बिक्री की जाती थी और इनके द्वारा कहां-कहां सप्लाई किया जाता था। इस सम्बन्ध में इनकी पूरी चेन का पता लगाकर इसमें शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि मुख्य अभियुक्त अंजनी तिवारी को थाना जेवर जनपद गौतमबुद्ध नगर की पुलिस द्वारा वर्ष 2023 में 07 कुन्तल अवैध सूखे गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक बांदा द्वारा कार्य की सराहना करते हुए पूरी टीम को 25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया।

बरामदगी-

- 08 कुन्तल 01 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा
- 01 ट्रक (अवैध गांजे के परिवहन में प्रयुक्त)
- 05 हजार रुपए

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चन्दन पुत्र मुन्नु लाल निवासी महमूदपुर थाना कल्याणपुर जनपद फतेहपुर।

फरार/वांछित अभियुक्त-

1. अजंनी पुत्र शिवमोहन तिवारी निवासी बबेरु थाना बबेरु जनपद बांदा।
2. रईस पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 194/25 धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. श्री संदीप कुमार सिंह थानाध्यक्ष मटौध
2. श्री आनन्द कुमार प्रभारी एसओजी
3. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह एसओजी
4. हे0कां0 आशीष शर्मा एसओजी
5. कां0 प्रतीक एसओजी
6. कां0 अमित त्रिपाठी एसओजी
7. कां0 मनीष मिश्रा एसओजी
8. कां0 अमित कुशवाहा एसओजी
9. कां0 खेमराज चक्र थाना मटौंध
10. कां0 अजय कुमार थाना मटौंध
11. कां0 अच्छेलाल थाना मटौंध